अति महत्वपूर्ण
पत्र संख्या- 722/अट्ठासी-21-01औ0/20

प्रेषक,

अनीता सिंह
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग लखनऊः दिनांक 11 मई, 2021

विषयः- होम आइसोलेशन के मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्तमान में प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि के दृष्टिगत होम आइसोलेशन के मरीजों को आवश्यकतानुसार निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति किये जाने की आवश्यकता है।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में होम आइसोलेटेड कोविड धनात्मक अथवा प्रिजम्पटिव कोविड रोगियों को निम्नलिखित दशाओं में ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय:-

(1) कोविड धनात्मक रिपोर्ट वाले रोगी- ऐसे रोगी जिनका कोविड टेस्ट प्रयोगशाला रिपोर्ट में धनात्मक आया है।

(2) ऐसे रोगी जिनके पास धनात्मक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है परन्तु जिनके कोविड सम्बन्धित उनके खून की जांच, एक्सरे अथवा सी.टी. जांच में कोविड के लक्षण दिखायी दे रहे हों।

उपर्युक्त दोनों विकल्पों में मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता का किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा हस्ताक्षरित पर्चा (Prescription) उपलब्ध कराने पर उक्तानुसार ऑक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध कराया जायेगा।

3- होम आइसोलेशन के मरीजों को उक्तानुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति कराते समय जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि ऑक्सीजन सिलेण्डर किसी ऐसे मरीज को न दिया जाय, जो पहले से किसी कोविड अस्पताल में भर्ती है। होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए उनके परिजनों द्वारा ऑक्सीजन सिलेण्डर प्राप्त किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा जनपद मे एक या एक से अधिक स्थान चिन्हित किये जायेंगे। मरीजों के आधार कार्ड की छायाप्रति एवं मरीज के उपयोग हेतु सिलेण्डर प्राप्त करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड व मोबाइल नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ऑक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध कराये जायेंगें। साथ ही सिलेण्डर का चिन्हीकरण कराना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

4- प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों हेतु दिनांक 10.05.2021 को ऑक्सीजन की कुल मांग 56 मी.टन (छायाप्रति संलग्न) दर्शायी गयी है। उक्त मांग में वृद्धि या कमी होने तथा मरीजों हेतु ऑक्सीजन की मांग एवं आपूर्ति की सूचना निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर गृह विभाग में स्थापित कोविड कंट्रोल रूम में प्रतिदिन उपलब्ध करायी जायेगी।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीया,

(अनीता सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या : (1)/अट्ठासी-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0।
7. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8. समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
9. औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त सहायक आयुक्त (औषधि), उत्तर प्रदेश।
11. समस्त औषधि निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनीता सिंह)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner